

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- २६७७ / FP/UK/OTHERS/151759/2022 देहरादून: दिनांक: ८ मई, 2022

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद—नैनीताल के हल्द्वानी में मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-309/2020 के अन्तर्गत शहीद स्मारक जड़ सैकटर बिन्दुखत्ता में शहीद स्मारक से लगी वन विभाग की 01 बीघा भूमि पर प्रशिक्षण एवं आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 हौ० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/OTHERS/151759/2022)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी हल्द्वानी, (नैनीताल) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.063 हौ० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी एवं वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव पर प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय से पत्रावली पर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, ऑनलाइन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

मवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/Others/151759/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य वन संरक्षक / कुमाऊँ नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया समय—समय पर प्रकरण की समीक्षा करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त कर लें।
- अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
- वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी
- जिलाधिकारी, जनपद—नैनीताल।
- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
- जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, हल्द्वानी, (जिला—नैनीताल)।

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17-	<p>टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।</p> <p>(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)</p>	<p>प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा पत्रावली पर सहमति के पश्चात् प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।</p>
-----	--	---

हस्ताक्षर :

तिथि: ७-५-२२

स्थान: देहरादून

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।